न्यायालय न्याय निर्णयन् अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या — 3/2019

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण:–
सरकार जरिये श्री गजेन्द्रकुमार सिंहल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर		श्री जवाराम पुत्र श्री लालाराम जाति पुरोहित, निवास स्थान–पुरोहितों का मौहल्ला, सूरजवाडा, तहसील रानीवाडा, जिला जालोर। मैसर्स बाबा रामदेव मसाला, गृह उधोग,मालवाडा, तहसील रानीवाडा, जिला जालोर। मो.नं. 9636926669

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) एफ व धारा 52 के तहत्

उपस्थिति :–

1.प्रार्थी की ओर से श्री प्रतापसिंह,डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जालोर उपस्थित।

2.अप्रार्थी उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 7.8.2019

1. प्रार्थी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य दिनांक 4.1.2016से सम्पन्न कर रहे थे और प्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक H/FSSA/Notification/2011-727 दिनांक 29.11.2016 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राज. जयपुर के आदेश कमांक एफएसएसए/2015/1032 दिनांक 30.12.2015 के अनुसार प्रार्थी को कार्यक्षैत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर आवंटित किया गया था। कमांक शासन उप सचिव,कार्मिक विभाग,राजस्थान जयपुर जारी अधिसूचना कमांक/प.1(2) कार्मिक/ क–4/08 दिनांक 5.4.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में

कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटो को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन् अधिकारी नियुक्त किया गया है।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.2.2019को 3.30 पी.एम पर मैसर्स बाबा रामदेव मसाला गृहउधोग मालवाडा,तहसील रानीवाडा ,जिला जालोर पर पहुंचने पर प्रार्थी ने विक्रेता को अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया, पूछने पर विक्रेता ने अपना नाम जवाराम पुत्र लालाराम,जाति पुरोहित ने स्वयं की फैक्ट्री का मालिक होना बताया भंवरलाल पुत्र खसाराम, ने स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया, वास्ते निरीक्षणार्थ वर्ष 2019 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र होना जाहिर किया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि फैक्ट्री में स्टील डिब्बे में लगभग 10 किलो मिर्च पाउडर आम जनता को विक्रय के लिये रखा हुआ था। मिलावट का सन्देह होने पर डिब्बे में से दो किलोग्राम मिर्च पाउडर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत के विक्रेता को 290 रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर प्रार्थी स्वयं व विक्रेता तथा उपस्थित गवाहान जॉन मोहम्मद ,वाहन चालक,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर ने हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5–ए की प्रतिया व फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता व गवाहान् को पढकर , सुनाकर व समझकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिस पर अप्रार्थी ने पढकर,समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये, फार्म सं. 5–ए की एक प्रति विक्रेता श्री जवाराम को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदसुदा मिर्च पाउडर को पुनःएक रूप कर चार बराबर भागों में बांट कर चार अलग अलग पॉलिथीन की थैलियों पैक किया गया । लेबल तैयार कर लेबल पर डी.ओ. के कोड व कमांक 0–920 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर प्रार्थी स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान् के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना पैकेट को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. जालोर की हस्ताक्षरसुदा पेपर स्लीप सं.0–920 नियमानुसार चारो नमूना भागो को नीचे उपर की ओर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता/मालिक एवं गवाहान् के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाब्ते में लिया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर

फार्म नं.6 की 6 प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया। एक नमूना भाग मय फार्म नं.6 की प्रति के आउटर कवंर में सील बन्द कर,सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक ,राज. जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की, दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सीलमोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक राज. जोधपुर को जमा कराकर,फार्म नं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सीलबंद नमूना भाग में फार्म नं. 6 की दो प्रतियो के आउटर कंवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर के पत्र कमांक/एफएसएसए/2019/0–920/1730 दिनांक 5.4.19 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./207/एक्ट /2019/261 दिनांक 28.3.2019 के अनुसार प्रार्थी द्वारा वास्ते जांच लिया गया नमूना **मिसब्राण्ड** (Misbranded)होना पाया गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी जालोर ने पत्र कमांक/2123 दिनांक 9.5.2019 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त कैस को न्याय निर्णयन् अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त केस में **मिस ब्राण्ड मिर्च का पाउडर** का विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, नमूना खरीद बिल असल, फार्म नं.5ए असल,मौका फर्द रिपोर्ट असल,फार्म नं.6 असल एवं प्राप्ति रसीद ,खाद्य विश्लेषक जोधपुर द्वारा खाद्य नमूना संख्या 0–920की प्राप्ति रसीद,खाद्य विश्लेषक जोधपुर की जांच रिपोर्ट, मु.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर का पत्र कमांक एफ एसएसए/स्वीकृति/2019/व–920/2123 दिनांक 9.5. 2019 आदि कागजात् प्रस्तुत किये है।

4. खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दि. 25.7.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत् नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 3.7.2019 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थी उपस्थित रहे है व

अप्रार्थी को उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद में वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया।

5. अप्रार्थी ने दिनांक 29.7.2019 को न्यायालय हाजा उपस्थित होकर प्रस्तुत इस्तगासे के तथ्यों को स्वीकार किया व अप्रार्थी से गलती होना बताया एवं आज ही निस्तारण कर अप्रार्थी पर कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया।

6 चूंकि परिवाद के अप्रार्थी ने दि.29.7.2019 को न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर लिखित में अपना जुर्म कबूल किया है व कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने के फलस्वरूप परिवाद में वर्णित गवाहान् सं.1 से 3तक को साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नही समझा गया।

7. उभयपक्ष की बहस सुनी गई व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया एवं परिवाद में वर्णित तथ्यों,अप्रार्थी का जवाब तथा इसके साथ संलग्न दस्तावेजात्, खाद्य विश्लेषक जोधपुर से प्राप्त जांच–रिपोर्ट संख्या एल एस/ 207/एक्ट/2019/261 दिनांक 28.3.2019 व अप्रार्थी से जुर्म कबूल का प्रार्थनापत्र दिनांक 29.7.19 से स्पष्ट हैं कि अप्रार्थी से लिया गया मिर्च पाउडर का नमूना लेबल के कारण Misbranded पाया गया लेकिन जांचरिपोर्ट के बिन्दु सं. 1 से 6 कमशः Moisture, Total ash on dry basis, Ash insoluble in dilute HCL on dry basis, Non- Volatile ether extract on dry basis ,Mould, Living and dead insect, insect Fragments,rodent contamination ,Added colouring matter में मिर्च पाउडर सही पाया गया है। अप्रार्थी से वास्ते जांच लिया गया मिर्च पाउडर का नमूना ,लेबल के कारण निम्न प्रकार मिसब्राण्ड पाया गया है:–

Lebel-(Expert Quality 100% pure given on the lable of sample.1.Brand name =Not given.2. Batch no = Not given.3.Date of Mfg./Pkg.=Not given.4.Best Before= Not given.5.Symbol for Vag./Non veg.= Not given.6. Net quantity = Not given.7.Name and address of Mfr./Pkr.= Not given.8-FSSAI License No.= Not given.

(Contravention of Regulation No.2.2.1(7),2.2.2(1), 2.2.2(4), 2.2.2(6),2.2.2(7),2.2.2(8),2.2.2(9),and 2.2.2(10)of food Safety and Standard(Packaging and Labelling) Regulation,2011).

अप्रार्थी द्वारा उक्त मिसब्राण्ड मिर्च पाउडर को आम जनता को विक्रय हेतु फैक्ट्री में रखा हुआ था। अतः उपरोक्त को मध्येनजर रखते हुए अप्रार्थी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। चूंकि अप्रार्थी ने उन पर लगाये गये आरोपो को स्वीकार किया है लेकिन अप्रार्थी की फर्म का उक्त माल (मिर्च पाउडर) मिसब्राण्ड होने से खाद्य मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।)के उल्लंघन करने से उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत् प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए अप्रार्थी पर 10,000/--रूपये अक्षरे दस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड-- "0210--चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04--लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03)--खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि " में नियमानुसार जमा करवाकर चालान की प्रति पेश करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 7.8.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
जालोर

कमांक/721--724 दिनांक 7.8.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

1.खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जन स्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज.जयपुर।
2.अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर
3.श्री गजेन्द्र कुमार सिंहल,खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मु.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधि.जालोर द्वारा--कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर।
4.अप्रार्थी--जवाराम पुत्र श्री लालाराम,जाति पुरोहित,निवासी पुरोहितो का मौहल्ला,सूरजवाडा, तहसील रानीवाडा, जिला जालोर ,मो.नं. 9636926669

(छगनलाल गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.18 16:44:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: